महात्मा बुद्ध और भिक्षुणी संघ : शासन के सिद्धान्त और सामाजिक मूल्य

डा० सरिता कुमारी[1]

सारांश

बुद्ध ने ''नारियों को भी बौद्धिक स्वतंत्रता का उपदेश दिया और पुरुषों से कहा कि उन्हें भो नारियो का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। केवल नारियों से ही सेवा की अपेक्षा करना गलत है।'' उन्होंने पुरुषों और नारियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। नारी और पुरुष समाज में एक साथ जीवनयापन करते है। नारी पुरुष के सभी कार्यों में हिस्सा बटाती थी। तथागत बुद्ध उस गृहस्थ को अधिक महत्त्व देते थे जो अपने परिवार में अच्छी तरह से नारियों का पालन-पोषण करता है। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना का इतिहास भिक्षु संघ से सर्वथा भिन्न है। महात्मा बुद्ध ने जिस समय अपने धर्म का प्रवर्तन किया था, उस समय केवल भिक्षु संघ की स्थापना की थी और उसके विस्तार के लिए अथक प्रयास किया था, किन्तु उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना भिक्षु संघ के स्थापना के पाँच वर्ष बाद अनिक्षापूर्वक की थी। उनके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना का नारियों ने हृदय से स्वागत किया था तथा उसमें प्रविष्ट होने के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिखलाया था। बौद्ध धर्म में पुरुषों तथा नारियों को समान स्थान प्राप्त था। सभी अपने कर्मों के अनुसार सद्गति और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बुद्ध नारी जाति की समानता के लिए विश्व के पहले समर्पित महामानव थे।

कीवर्ड : भिक्षुणी संघ,बुद्ध, नारी,बौद्धिक स्वतंत्रता।

भूमिका

बौद्ध काल में नारियों पर बुद्ध के विचारों का मानसिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक प्रभाव अधिक दिखाई देता है। बहुत सारी नारियों ने अपना सर्वस्व धर्म की सेवा में लगा दिया था। तथागत बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के महाविहार में भिक्षुसंघ को दिये धम्मोपदेश को सुनकर विशाखा के मन में संघ को कुछ दान देने का विचार आया। तब उसने अपने बहुमूल्य गहनों को बेचकर जिसकी कीमत लगभग नौ करोड़ रुपये थी, भूमी खरीदकर दो मंजिल का महाविहार निर्माण करवाया। महाविहार में ध्यान साधना के लिए एक हजार छोटे-छोटे कमरे (शून्यागार), चंक्रमण, जन्ताधर (स्नानाघर) और सभागार आदि की व्यवस्था थी। इस विहार का नाम पूर्वाराम (पुब्बाराम) महाविहार रखा गया और इस भिक्षुणीसंघ को दान दिये। दीघनिकाय के 'सिंगालोवाद सुत्त' में पति-पत्नी के कर्त्तव्यों को बताते हुये तथागत कहते हैं कि पति अपनी स्त्री की पाँच प्रकार से सेवा करें। (1) वह अपनी स्त्री का सम्मान करे (2) वह उसको अपमानित न करे (3) वह पर-स्त्री गमन (व्यभिचार) न करे। (4) वह उसे आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करे और घर की स्वामिनी बना दे। (5) वह उसकी उचित देखभाल, वस्त्र, आभूषण आदि से करे।बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में न केवल परिवार की स्त्रियों को पुरुषों के समान धर्म का पालन करने का अधिकार था, अपितु उन्हें पुरुषों के समान गृहवास त्याग कर महात्मा बुद्ध के स्थापित संघ में प्रवेश करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था।

संघ में पुरुष एवं नारी क्रमशः भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में रहकर दुःखों के विनाश के लिए साधना करते थे। बौद्ध काल में जब बौद्ध संघ की स्थापना हुई, उसके कुछ दिनों बाद से स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार एवं संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होने लगा। प्रारम्भ में बौद्धकालीन समाज में भिक्षुणी बनने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। यद्यपि जैन धर्म के अन्तर्गत प्रारम्भ में अनेक जैन भिक्षुणियों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ की स्थापना साथ ही साथ हुई थी। इस बात की सत्यता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि आचारांग जैसे प्राचीन ग्रन्थों में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियमों की व्यवस्था साथ - साथ की गयी है।

विनयपिटक ग्रन्थ भिक्षुओं की धार्मिक संहिता है। उसमें जो ''दो अनियत धम्म है उसके बारे में भिक्षुओं को दोषी ठहराने का अधिकार और उसके लिए उसे दंड देने का अधिकार भी बुद्ध ने श्रद्धावान विश्वासपात्र उपासिकाओं को दिया था।'' शीलसंपन्न उपासिकाओं को

[1] शोधसहायक, इतिहास विभाग, विनोबा भावे विष्वविद्यालय, हजारीबाग

जो अधिकार बुद्ध ने दिया था वह पुरुष प्रधान भारतीय समाज में और धर्म में भी नारी को सर्वोच्च आदर देने वाला बुद्ध का क्रांतिकारी निर्णय था। दो हजार पाँच सौ साल पहले भारतीय समाज में नारी के अस्तित्त्व का जब कोई भी मूल्य नहीं था वह शोषित पीड़ित थी, तब भगवान बुद्ध द्वारा नारी सम्मान एवं अस्मिता हेतु जो कार्य किये गए वह आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है।

बौद्ध धर्म नारी - पुरुष के भेद को नहीं मानता। उस समय नारियों के पालन-पोषण को अधिक महत्त्व दिया जता था। उनको समाज में हेय दृष्टि से देखना उचित नहीं माना जाता था। ''समाज का उत्थान पुरुषों के उत्थान के साथ नारियों के उत्थान पर अधृत था। इनकी गणना सप्त रत्नों में हुई है। वे सप्त रत्न इस प्रकार हैं- 1. चक्ररत्न, 2. अश्वरत्न, 3. हस्तिरत्न, 4. स्त्रीरत्न, 5. गृहपतिरत्न, 6. परिणायकरत्न और 7. मणिरत्न।'' इन रत्नों में नारी का उल्लेख हो जाने से इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है तथा समाज में इनका स्थान ऊँचा हो जाता है। ''जिस तरह पुरुष को नारी के त्याग का अधिकार था उसी तरह से पत्नी भी पति को छोड़ सकती थी।'' जातक में इन उदाहरणों के आधार पर पुरुष और नारी के समान अधिकार की बात सिद्ध हो जाती है। जहाँ पुरुष समाज में प्रतिष्ठित होता था वहीं नारियाँ भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती थीं। समाज में नारियों को पूरी स्वच्छन्दता तो नहीं थी परन्तु बौद्ध साहित्य के आधार पर हम उनकी स्वतंत्रता का दिग्दर्शन कर सकते हैं।

एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मित जेतवन में भिक्षु संघ के साथ धम्म- चर्चा कर रहे थे। उसी समय विशाखा ने भिक्षुसंघ सहित बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजनोपरान्त विशाखा ने तथागत बुद्ध से कहा भगवान मैं आपकी अनुमति से चाहती हूँ कि आजीवन भिक्षु संघ को आठ प्रकार का दान देना चाहती हूँ। विशाखा कहती है कि धम्मसेवा से सबको पुण्य-संचय होता है। तब भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ से कहा कि दायिकाओं में विशाखा मिगारमाता अग्र है। हम देखते है कि तथागत बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर ही विशाखा इस प्रकार का महादान संघ को देती थी।

पुण्णिका सेठ अनाथपिण्डिक के घर को दासी की पुत्री थी। वह भी चोरी-छिपे बुद्ध का उपदेश सुनती थी। उसका कार्य यह था कि अचिरवती नदी से जल भर कर लाना। एक दिन उसने तथागत बुद्ध के उपदेश को सुना। वह उपदेश से अत्यन्त प्रभावित हुई। एक दिन प्रातःकाल शीत ऋतु में अचिरवती गंगा जल से शुद्धि मानने वाले (उदकशुद्धिक) एक ब्राह्मण से कहती है कि-''हे ब्राह्मण! यदि नदी-स्नान से पापकर्म धुल जाते है तो जल में रहने वाले मेढक, मछली, कछुए आदि जलचरों की सुगति तो सुनिश्चित है।'''' इस प्रकार धर्म के नाम पर पाखण्ड का समर्थन करने वाले को जवाब देने का साहस बुद्धोपदेश के कारण ही दासी पुत्री को प्राप्त हुआ। उसने वास्तविक विशुद्धि के मार्ग (बुद्ध धम्म) में उसे पहुँचा दिया द्य इससे अनाथपिण्डिक दासी पुत्री से बड़े प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि इसमें तो ब्राह्मण से भी ज्यादा योग्यता है। अतः अनाथपिण्डिक ने पुण्णिका को दासत्व से मुक्त कर दिया।

एक समय भगवान बुद्ध वैशाली के कोटिग्राम में ठहरे हुए थे। यह समाचार सुनकर आम्रपाली भगवान बुद्ध से मिलने गई और अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । आम्रपाली को तथागत बुद्ध ने धार्मिक उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद आम्रपाली ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया और अपना आम्रवन दान दिया। भगवान बुद्ध ने उसे धम्मोपदेशना देते हुए कहा कि-''सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव, दुखियों के प्रति करुणाभाव, संसार के सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखना ही धम्म है। काय-वचन-मन से जीवन पवित्र रखना ही धम्म का कर्तव्य है।'' इस धम्मोपदेश के बाद आम्रपाली के मन में सद्धर्म का अंकुर विकसित होने लगा। जीवन के अंतिम दिनों में उसने प्रव्रज्या ग्रहण की और भिक्षुणी संघ में सम्मिलित हो गई। वृद्धावस्था में जब वह अपने जीर्ण शरीर को देखती है तो उसे संसार की अनित्यता का बोध होता है। आम्रपाली ने भिक्षुणी के रूप में विपश्यना (साधना) द्वारा अपने अन्तर्मन में जीवन की अनित्यता की सच्चाई का साक्षात्कार कर लिया था। उसने कृतज्ञता विभोर होकर कहा कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विचारों के कारण आज मेरे सारे दुःख दूर हो गए है।

तथागत भिक्षुओं के साथ अनाथपिण्डक के घर धम्मोपदेश के लिए गए। महाश्रेष्ठी भी बुद्धोपदेश सुनने के लिए तथागत के पास बैठे थे। उसी समय सुजाता दास कर्म-करों के साथ झगड़ रही थीं। बुद्ध ने धर्म-कथा रोकर पूँछा-यह कैसा शब्द है? अनाथपिण्डक ने बताया कि भन्ते! यह मेरी कुलवधू है गौरवरहित है सास-ससुर और स्वामी के प्रति इसका कोई कर्त्तव्य नहीं है दिन रात कलह करती रहती है। बुद्ध ने कहा उसे यहाँ बुलाओं। भगवान ने सुजाता को उपदेश दिया कि सुजाता! पुरूष की सात प्रकार की भार्या होती है उन सातों में तुम कौन सो हो? इस प्रकार बुद्ध ने सुजाता को पत्नियों के सात प्रकार बतलाकर अच्छी पत्नी किसे कहते और उसके क्या लाभ है यह बतलाया। उसके बाद परिवार की सुख-शान्ति के लिए उसने अच्छी पत्नी बनने का बुद्ध के सामने निश्चय किया। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से खुज्जुत्तरा का जीवन परिवर्तित हो गया। यह एक निम्न जाति नारी थी तथा वह कौशाम्बी के राजा उदयन की पटरानी की दासी थी। रानी उससे रोज आठ कार्षापण के पुष्प मंगवाती थी।

खुज्जुत्तरा आठ कार्षापण में से चार कार्षापण चोरी से अपने पास रख लेती थी और चार कार्षापण के ही पुष्प खरीदकर ले जाती थी। एक दिन खुज्जुत्तरा रानी के लिए पुष्प खरीदने जा रही थी तभी मार्ग में तथागत बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे कि-''जब व्यक्ति दुराचार को पहचान लेता है और मूल कारण विदित कर लेता है। सदाचार को पहचान लेता है और उसका भी यथार्थ कारण विदित कर लेता है तब उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है। इसलिए स्वयं का पर्यवेक्षण श्रेयस्कर है यही सम्यक् दृष्टि का रहस्य है।'' उपदेश सुनकर वह मनन करती हुई पुष्प खरीदने चली गई और उसने जान लिया कि तुच्छ क्षणभंगुर जीवन में चोरी जैसा आचरण कर रही हूँ। मेरी स्वामिनी मुझ पर विश्वास करती है और मैं उसके साथ विश्वासघात कर रही हूँ। यह जानकर उसने निश्चय किया कि अब वह चोरी नहीं करेंगी वह रानी के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। श्यामावती रानी ने सोचा कि एक नासमझ दासी में जिनके उपदेश से इतना परिवर्तन हो गया उनका उपदेश कितना कल्याणकारी होगा। तब वह खुज्जुत्तरा को दासी पद से मुक्त कर राजमहिलाओं में स्थान देती है। उसका कार्य था कि बुद्ध के उपदेश सुनना और श्यामावती

तथा उसकी सखियों को सुनाना।

कुमारदेवी गया जिले के पीठी प्रदेश के सामंत देवरक्षित की पुत्री थी। उसका विवाह काशी और कन्नौज के एकमात्र अधिपति राजा मदनचन्द्र के पुत्र गोविन्द चन्द्र के साथ हुआ था। वह बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उसने सारनाथ में धम्मचक्र - जिन विहार का नौ मंजिल भवन का निर्माण करवाया जो 800 फुट लम्बा था। कुमारदेवी ने इस विहार के खर्च के लिए काशी की सबसे बड़ी तहसील जम्बुकी को अर्पित कर दिया था। धर्म शिक्षा की ओर भी उसकी बड़ी रुची थी। शिक्षा केन्द्र नालंदा और महाबोधी महाविहार, बोधगया के लिए भी उसने बहुत धन दिया था। सहस्त्रों भिक्खुओं ने इनके दायकत्व में धर्म शिक्षा प्राप्त की। शील पालन, विरक्त-अर्चना एवं दान पुण्य रानी कुमारदेवी का लक्ष्य था। इसी में उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। आज भी यह स्तूप ध्वंसावशेष के रुप में धार्मिक महारानी की धर्मसेवा का यशोगान कर रहा है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर ही धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु नारियों द्वारा किया धार्मिक योगदान प्रशंसनीय है।

''सम्राट अशोक ने अपनी प्रिय पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिये बोधी वृक्ष की शाखा लेकर बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ सिंहल द्वीप (श्रीलंका) भेजा। श्रीलंका के अनुराधापुर में स्थविर महेन्द्र और संघमित्रा द्वारा लगाया गया बोधीवृक्ष जो संसार का सबसे पुराना लगभग 2200 वर्ष का है जो आज भी विद्यमान है। संघमित्रा ने श्रीलंका के राजा तिष्य के आमन्त्रण पर उसकी बहन राजकुमारी अनुला और उसकी पाँच सौ सहचरियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। भिक्षुणी संघमित्रा का महापरिनिर्वाण भी श्रीलंका में हुआ। सम्राट अशोक की इन दोनों संतानों ने अपने देश से दूर विदेश में जाकर बौद्ध धर्म के लिये अपने आप को समर्पित कर दिया और बौद्ध धर्म को अन्तर्राष्ट्रीय धर्म का रूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आज श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है एवं भिक्खुणियों के बड़े-बड़े संघ भी है इसका श्रेय संघमित्रा तथा महेन्द्र को ही जाता है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार से हम देखते है नारियाँ बुद्ध के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी।नारी- जाति का जितना गौरव बुद्ध ने बढ़ाया उतना शायद ही दुनियाँ के किसी भी धर्म संस्थापक ने बढ़ाया होगा। जो नारी पुरूष प्रधान समाज में किसी भी अधिकार की अधिकारिणी नहीं थी उसको सभी प्रकार के अधिकारों की अधिकारिणी बनाना, ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान का उपदेश देने की और निर्वाण, परमशान्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी घोषित करना एक क्रान्तिकारी कदम था। डॉ. सुरेन्द्रनाथ दुबे ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि - ''बौद्ध परम्परा में स्त्री को हीन नहीं माना गया। इतना ही नहीं, पुत्र और पुत्री की कामना समान रूप से की जाती थी।17 नारियों के प्रति बुद्ध के समतावादी दृष्टिकोण ना उनकी स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार किया।'' इग्लैंड की अनुसंधानकृति होर्नर ष्ॅवउमद न्दकमत च्तपउपजपअम ठनककीपेउष्नामक पुस्तक (शोधग्रंथ) में लिखा है कि-''बौद्ध काल में नारियों की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। नारियाँ अधिक समानता का उपभोग ले सकीं। अधिक आदर और अधिकार जो अब तक कभी भी नारियों को नहीं मिला था वे उन्हें प्राप्त हुए।18 बौद्धकाल में नारियों का विकास हुआ था। उन्हें पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। बौद्धकाल नारियों की उन्नति का काल था।जीवन यापन करते हुए भी उन्होंने एक ओर बुद्ध की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुँचाने में तथा धर्म सेवा में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति और समस्त जीवन लगा दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी दासियों से मानवता पूर्व व्यवहार किया और कुछ नारियों ने तो उन्हें दासत्व से मुक्त कर दिया। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर ही नारियों ने भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर अध्ययन, अध्यापन और ज्ञानार्जन किया जिसका परिणाम थेरीगाथा ग्रन्थ का निर्माण है, जिसे नारियों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाला प्रथम अनुपम ग्रन्थ भी कहा जाता है।

संदर्भ :

भिक्षु धर्मरक्षित: बुद्ध धर्म के उपदेश, पटना: श्री अजन्ता प्रेस लिमिटेड, 1951. *पृ.182*

उपिन्दर,सिंह, हितेन्द्र,अनुपम (अनुवादक), *प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से 12 वीं शताब्दी तक,* पियर्सन इण्डिया, एजुकेशन सर्विसेज, प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तामिलनाडु, 2017, *पृ.322,323*

वही, *पृ.254*

वही, *पृ.311*

लामा तारनाथ: भारत में बौद्धधर्म का इतिहास, (हिन्दी अनुवादः लामा रिगजिन लुण्डुप), काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटनाः1971. *पृ. 211*

दुबे, सीताराम: *बौद्ध धर्म: विविध पक्ष,* प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2008. *पृ.85*

वही, *पृ.247*

देव, नरेन्द्र, *बौद्ध धर्म दर्शन,* मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2006. *पृ.96*

उपिन्दर,सिंह, हितेन्द्र,अनुपम (अनुवादक), *प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास,* पूर्वोद्धृत, *पृ.321*

वही, *पृ. 77*

चौधरी, सूर्यनारायण, *बुद्धचरित,* वाराणसीःमोतीलाल बनारसीदास.1955 *पृ. 301*

सांकृत्यायन, राहुल, *बुद्धचर्या: भगवान बुद्ध की जीवनी और उपदेश,* गौतम बुद्ध सेंटर,, दिल्ली, *पृ. 285*

सिंह, परमानन्द, *बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज,* हलधर प्रकाशन, वाराणसी, 1996, पृ.,117 काश्यप, भिक्षु जगदीश, नालन्दा, मज्झिम निकाय (तीन भाग): नव नालन्दा महाविहार,1958, *पृ.127*

वही, *पृ. 132*

चौधरी, सूर्यनारायण, *बुद्धचरित (आचार्य अश्वघोष-कृत),*सम्पादक व अनुवादक, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2000, *पृ. 221*

वही, *पृ.28*

वाजपेयी, शिवकान्त: *प्रारंभिक बुद्ध धर्म, संघ एवं समाज,* दिल्ली: ज्ञानभारती पब्लिकेशन्स, 2002, *पृ. 49*

ताराराम, *बौद्ध धर्म का मूल तत्व,* दिल्ली: भारतीय बौद्ध महासभा, 2000, *पृ. 171*